


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 1986/फाल्गुन 22, 1907
No. 80] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 1986/PHALGUNA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल परिवहन विभाग)

(सडक पक्ष)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1986

अधिसूचना

का.आ. 92 (अ):—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48)
की धारा 2 को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय सरकार नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित
करती है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

यह राजमार्ग, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त मरणी के क्रमशः कालम (1) और (2) में निर्दिष्ट क्रम संख्या और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के अनुसार विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
46	एन ई-1	यह राजमार्ग अहमदाबाद से शुरू होकर नडियाड, आनन्द नगरों के निकट से गुजरता हुआ बड़ोदरा में समाप्त होता है।

[संख्या आर. डब्ल्यू./पो.एल-30 (78)/84]
कृश कुमार सरोन, महानिदेशक
(सड़क विकास) व अपर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT
(Department of Surface Transport)
(Roads Wing)

New Delhi, the 13th March, 1986

NOTIFICATION

S.O. 97(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the Table below to be a national highway.

The said highway now declared to be a national highway shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act, with the Serial No. and National Highway No. indicated in columns (1) and (2) respectively of the said Table.

TABLE

Serial No.	National Highway No.	Description of National Highway
(1)	(2)	(3)
46	NE-1	The highway starting from Ahmedabad passing close to the towns of Nadiad, Anand and terminating at Vadodara.

[No. RW/PL-30(78)/84]

K.K. Surin Director General
(Road Development) & Addl. Secy.